न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 88/2019

निर्णय दिनांक :– 27.1.2020

श्रीमती सुनितादेवी पुत्री जगदीश धर्मपत्नी राकेशकुमार जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू हाल निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ

... प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री परमानन्द भांभु अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 424 तादादी 3.6422 हैक्टेयर व ख.नं. 463/419 तादादी 4.5527 हैक्टेयर कुल तादादी 8.1949 रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ में स्थित है। प्रार्थीनी का नाम संतोष पुत्री जगदीश हिस्सा 199/3240 बतौर खातेदार अकिंत है। प्रार्थीनी के पिता के गुजरने के बाद विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय गांव में बोलचाल की भाषा संतोष सहवन अकिंत करवा दिया था जबकि प्रार्थीनी का नाम सुनितादेवी है। प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकार्ड में संतोष लिखा हुआ है। जबकि वास्तव में नाम सुनितादेवी पुत्री जगदीश है। प्रार्थीनी के ससुराल में बने हुए आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि में सुनितादेवी अकिंत है। अतः

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में प्रार्थीनी का नाम संतोष पुत्री जगदीश के बजाय शुद्ध एवं सही नाम सुनितादेवी पुत्री जगदीश अकिंत करने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 20.1.2020 को न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड ख.नं. 424 तादादी 3.6422 हैक्टेयर व ख.नं. 463/419 तादादी 4.5527 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ में प्रार्थीनी का नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय भूलवश संतोष पुत्री जगदीश गलत दर्ज हो गया। जिसे सुनितादेवी पुत्री जगदीश शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं तहसीलदार रतनगढ की प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.1.2020 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात में सुनितादेवी अकिंत है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 424 तादादी 3.6422 हैक्टेयर व ख.नं. 463/419 तादादी 4.552 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ की संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीनी का नाम सुनितादेवी पुत्री जगदीश शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:32:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: